न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 32/2019 (2019/00123)

1. बुन्दु खॉ वल्द समसू खां
2. बेगम बानू पत्नि पूसा खां
3. जमील अहमद
4. शिहाबुदीन

पिसरान पूसा खां जाति मुसलमान निवासी रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर।

.....**अपीलान्ट्स**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। ..... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री समीर अहमद खान अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री हेमराज सिंह राठौड राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :–12.12.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घूघरा के खसरा नम्बर 2765 रकबा 0.04 है0 2771 रकबा 0.90 है0 किस्म बारानी पर अनाधिकृत रूप से कॉटें की बाड लगाकर कब्जा अतिक्रमण किया गया है। इस आश्य की पटवारी हल्का घूघरा की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार अजमेर द्वितीय द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 15/2019 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 29.03.2019 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमियों को विवादित भूमि से बेदखल करने के साथ ही शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट्स के पूर्वजो के द्वारा तत्कालीन खातेदार श्योजी व लाला पुत्रान रूग्घा जाति गुर्जर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.8.79 को खरीद कर बतौर खातेदार काबिज रहे। अपीलान्ट्स के पूर्वज समशू खां पुत्र अहमद खां व पूसा पुत्र सुल्तान खां के देहान्त के पश्चात विवादित भूमि अपीलान्ट्स के नाम दर्ज हुई, तब से अपीलान्ट्स काबिज खातेदार चले आ रहे है। प्रस्तुत जमाबन्दी सवंत 2068–2071 से भी यह स्पष्ट है। तत्पश्चात बिना किसी अधिकारिता एवं सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रश्नगत भूमि को विधि विरूद्ध रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट्स प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी नहीं है। बल्कि विधिक अधिकारों के तहत हकदार, मालिक, काबिज है जिन्हे धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

आक्षेपित आदेश प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2019, निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकार्ड, जमाबन्दी में ग्राम घूघरा की प्रश्नगत आराजी सिवाय चक दर्ज है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमीयों को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2019 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.12..2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner